

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/

दिनांक:-

-:: आदेश ::-

प्रशासनिक आधार पर लोकहित में निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण, पदस्थापन के नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरांत आदेश जारी किए जाते ह:-

क. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	रामस्वरूप कुलदीप	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष. फिरवासी, तह. लाडनू	राज. होम्यो. औष. अजीतगढ, सीकर में सुनील कुमार शर्मा के स्थान पर
2	सुनील कुमार शर्मा	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष., अजीतगढ, सीकर	राज. होम्यो. औष. फिरवासी, तह. लाडनू नागौर में रामस्वरूप कुलदीप के स्थान पर
3	कृष्णलाल गिला	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. चिकि. श्रीगंगानगर	राज. होम्यो. अस्पताल सूरतगढ, श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर
4	सोहनलाल सिहाग	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष. बामनवाली, लूणकरणसर, बीकानेर	राज. होम्यो. औष. पारीक चौक, जिला बीकानेर में रिक्त पद पर
5	सुशीला कुमारी	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष. बामणिया, तह. सुजानगढ, चूरू	राज. ब्लॉक आयुष चिकि. उदयपुरवाटी झुंझुनू में रिक्त पद पर
6	तोहीद अहमद	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष. चौकडी तोपखाना देश	नवीन ब्लॉक आयु. चिकि. टोडाभीम, करौली में रिक्त पद पर
7	शीतल गर्ग	Homo Nurse/Comp	राज. होम्यो. औष. बेडसा, झूंगरपुर	राज. होम्यो. औष. दोवडा. रिक्त पद पर

1
(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2022/ 5910-16

दिनांक:- 30.08.22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
4. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
5. संबन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी./ जिला अस्पताल
6. संबन्धित, नर्स/कम्पाउण्डर को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
7. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश/विधि /सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यकी शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक